न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
28 / 2021	2021 / 52	20.07.2021	20.07.2021

उनवान

ग्राम पंचायत कड़ैल जरिये सरपंच

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

अप्रार्थी

उपस्थितः–

पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार पुष्कर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम कड़ैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 1 के खसरा नंबर 181 / 1197 रकबा 0.30 है0 किस्म गै.मु.श्मसान (अशुद्धि) के स्थान गै.मु.कब्रिस्तान की दुरूस्ती कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजि[illegible] पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

20/07/2021

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.06.2021 पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/राजस्व/2021/1203 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्किंग खसरा नंबर 780 के हाल खसरा नंबर 181/1197 की किस्म गै0मु0कब्रिस्तान किये जाने की अनुशंषा की।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर के प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व ग्राम कड़ैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 181/1197 रकबा 0.30 है0, किस्म गै.मु.श्मसान (अशुद्धि) के स्थान पर किस्म गै.मु.कब्रिस्तान शुद्धि करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कड़ैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 181/1197 रकबा 0.30 है0, किस्म गै.मु.श्मसान दर्शाया गया है, जिसके स्थान पर शुद्धिकरण के पश्चात् किस्म गै.मु.कब्रिस्तान (अन्य राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) तरमीम करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Rathore 20/07/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested